

सॉलू प्रॉब्लम/490-93 /2002 पिन 25/2002

पिन मीन विद्या अधिकारी/पिन विद्या अधिकारी
जगद- सीतापुर।

आदेश संख्या 1873/15-6-90-10 पिन 7/90 दिनांक

10 सितम्बर 1999 में निम्नित प्राध्यापकों के अन्तर्गत आचार्य
प्राध्यापक विद्यालयों की की गयी अस्थायी मान्यता भी स्थायी
प्रकृति की होगी तथा यह निम्नित अधिकारों सम्बन्धीकरण कराये
जाने की आवश्यकता नहीं है।

कृपया अस्थायी मान्यता प्रकृति प्राध्यापक विद्यालयों
के सम्बन्ध में उक्त राजाश के अनुसार में आवश्यक कार्यवाही करें।

॥ देवी विद्या ॥

पिन मीन विद्या अधिकारी
पिन सीतापुर।

सॉलू प्रॉब्लम/490-93 /2002 पिन 25/2002

प्रतिनिधि निम्नित अधिकारियों को सुपचार्य एवं
आचार्य कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- उक्त मीन विद्या अधिकारी- सीतापुर।
- 2- पिन के समान कल्याण अधिकारी/अध्यक्ष कल्याण अधिकारी।
- 3- प्रतिनिधि निम्नित प्रबन्धक- जगद सीतापुर।

प्रत्यक्ष-

पिन मीन विद्या अधिकारी
पिन सीतापुर।